न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/07/2022	25.01.2022	07.06.2022

बउनवान

1–मैसर्स पी.एल.अग्रवाल एण्ड कम्पनी जर्ये प्रोपराईटर पी.एल. अग्रवाल एच.यू.एफ. कर्ता श्री पी. एल.अग्रवाल पुत्र श्री एल.एन. अग्रवाल जर्ये मुख्तयारखास मोहम्मद हारून पुत्र श्री ईशाक खान निवासी प्लाट नम्बर 41, लालकोठी नियर हनुमान मन्दिर, तिजारा रोड़, अलवर जिला अलवर–राजस्थान ––प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमान सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर –राजस्थान
2–श्रीमान तहसीलदार, लैण्ड होल्डर, अलवर जिला
अलवर–राज.
3–राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलैक्टर, अलवर–राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज.भू. अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज.भू. अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर–राजस्थान मे विद्यमान है विवादित आराजी मिन प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा जिसके तरफ दिशा दक्षिण में स्टेट हाईवे है। जिस वजह से मिन प्रार्थी की विवादित आराजी बेशकीमती आराजी है तथा स्टेट हाईवे जो सामने लगता हुआ है जोकि ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर–राज. में है। स्टेट हाईवे का खसरा नम्बर 637 हैं। आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.05 हैक्टेयर ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर–राजस्थान में स्थित है। जो वर्तमान में बंजड़ काश्त का नाम अप्रार्थी संख्या 1 नगर सुधार न्यास अलवर हिस्सा पर्ण संस्था के लिए व खसरा नम्बर 640 रकबा 0.20 हैक्टेयर बारानी –1 अव्वल भी काश्त नगर सुधार न्यास अलवर–राज. अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज हैं मिन प्रार्थी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 639 के पीछे ग्राम बेलाका तहसील व जिला अलवर की सीमा प्रारम्भ हो जाती है जो आराजी खसरा नम्बर 33/398 रकबा 0.25 हैक्टेयर जो गैरमुमकिन रास्ता है जो बतौर काश्तकार नगर सुधार न्यास अलवर हिस्सा पूर्ण संस्था अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 33/398 रकबा 0.25 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता अंकित है। जिसको आर.टी.एक्ट की धारा 251 (ए) के

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

तहत समाप्त नही किया जा सकता है। उक्त महकमें (अप्रार्थी संख्या 1) ने नाजायज लाभ कमाने की नियत से उक्त गैरमुमकिन रास्ते को समाप्त कर मिन प्रार्थी की विवादित आराजी पर भी अतिक्रमण कर लिया है जो विधि विरूद्ध व संस्था के नियमों के भी विरूद्ध है एवम ग्राम बेलाका तहसील व जिला अलवर में ही आराजी खसरा नम्बर 33/398 गैरमुमकिन रास्ता के पीछे आराजी खसरा नम्बर 34 व 35 लगते हुए हैं जो भी महकमा नगर सुधार न्यास अलवर अप्रार्थी सख्या 1 के नाम अंकित है। मिन प्रार्थी की विवादित आराजी के तीनो और महकमा नगर सुधार न्यास अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि लगती हुई है और उक्त महकमा अप्रार्थी सख्या 1 ने मिन प्रार्थी की भूमि पर बिना वैधानिक अधिकार के काफी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और मिन प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 639 वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर मुतनाजा का रकबा कम कर दिया है जो गैरकानूनी हैं। मिन प्रार्थी ने पूर्व में भी दिनांक 12/01/2021 को तहसीलदार अलवर अप्रार्थी संख्या 2 को एक प्रार्थनापत्र बाबत ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर में स्थित खाता संख्या 87 आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 0.16 हैक्टेयर मुतनाजा भूमि की पैमायश कराने के संबंध में पेश किया गया था। उस प्रार्थनापत्र में अनुतोष यह मांगा गया था कि उक्त आराजी खसरा नम्बर की सरकारी शजरे का माप के अनुसार पैमायश कराकर प्रार्थी (मिन प्रार्थी) की भूमि मुतनाजा को चिन्हित कराये। जिससे भविष्य में कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो सके। उक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार तहसील अलवर (अप्रार्थी संख्या 2) ने दिनांक 28/01/2021 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अलवर (अप्रार्थी संख्या 2) के कमांक/भू.अ./21/256–262 दिनांक 27/01/2021 की अनुपालना में गठित टीम के साथ आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर मुतनाजा के मौके पर वास्ते सीमा ज्ञान हेतु पहुंचे। मिन प्रार्थी द्वारा रसीद संख्या 33/058435 से 100/–रूपया पूर्व में ही जमा करवा दिए गए थे। सीमा ज्ञान होने के बावजूद मिन प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 0.1600 हैक्टेयर मुतनाजा की ठीक से पैमायश कर चिन्हित नही किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 1 को नगर विकास न्यास अलवर को धारा 98 यूआईटी एक्ट के तहत व अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमान तहसीलदार अलवर व अप्रार्थी संख्या 3 राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर को धारा 80सीपीसी के तहत यह विधिक नोटिस मियादी 2 माह का दिया गया जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को मिल चुकी है। यहकि मिन प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर –राजस्थान मुतनाजा की पैमायश कराते हुए अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मुतनाजा का रकबा 0.1600 हैक्टेयर पूर्ण कराते हुऐ व अपनी आराजी भूमि मुतनाजा को चिन्हित कराते हुए पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि मिन प्रार्थी के हकूक जायल हान से बच सके। चूंकि अप्रार्थीगण को दिए गए रजिस्टर्ड नोटिस की मियाद 2 माह है जिसकी अवधि काफी लम्बी हैं। अप्रार्थीगण द्वारा मिन प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मुतनाजा के ज्यादातर भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है और अव हाल में ही मिन प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि पांच–दस दिनो में ही अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी की विवादित आराजी को स्टेट हाईवे खसरा नम्बर 637 मे मिला देगे यदि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो गए तो उस सूरत मे मौजूदा प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश करना निरर्थक हो जावेगा व मिन प्रार्थी को अपार नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व भारी आर्थिक क्षति व बेजा मुकदमेबाजीयो का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार मौजूदा प्रार्थनापत्र आवश्यक प्रकृति का है इसलिए अप्रार्थीगण को दिए गए विधिक नोटिस की अवधि 2 माह पूर्ण होने से पूर्व ही यह प्रार्थनापत्र काबिले स्वीकार्य है। धारा 80(2)सीपीसी के तहत प्रथक से प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। पूर्व में दिनांक 12/1/2021 को अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थनापत्र दिया तथा दिनांक 28/1/2021 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिए गए आदेश पर विवादित. आराजी की पैमायश ठीक तरह से नही की गई केवल प्रार्थी को गुमराह करने की मंशा से नुमायशी पैमायश की गई। और अब हाल मे मिन प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि विवादित आराजी को अप्रार्थीगण पांच–दस दिनो मे ही स्टेट हाईवे मे मिला देगें। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर न्यायहित में बहक प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थीगण निम्न अनुतोष सादिर फरमाया जावे कि मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर –राजस्थान मुतनाजा की पैमायश कराकर मिन प्रार्थी की विवादित खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी का रकबा 0.1600 हैक्टेयर पूर्ण कराते हुऐ मिन प्रार्थी की विवादित आराजी भूमि चिन्हित कर पत्थरगढी कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण को कोई जवाब के समुचित अवसर दिये गये। किन्तु जवाब पेश नही किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली का अध्ययन किया प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी हाल खसरा न. 639 रकबा 0.1600 है0 वाके ग्राम दीवाकरी तहसील अलवर की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी के सीमाज्ञान कराने बाबत् किसी प्रकार का कोई उज्र न्यायालय में प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी ख.न. 639 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम दीवाकरी की हाल नक्शे अनुसार नगर विकास न्यास, अलवर के अधिकारी की मौजूदगी में पैमाईश करवाई जावें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 7.06.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर